06/04/14 फरियादी प्रार्थीगण लोकसेवक द्वारा एक आवेदन मिसल तलबी का पेश किये जाने पर प्रस्तुत हुई। प्रार्थीगण वकीलगण ने आवेदन प्रस्तुत में निवेदन किया कि वाद पत्र में तकनीकि खामी होने की वजह से पूर्वविर्ती वाद के स्थान पर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति चाही गई है। प्रार्थीगण / वकीलगण की पहचान वकील वकीलगण श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा की गई है। अतः प्रार्थीगण / वकीलगण के निवेदन पर पूर्वविर्ती वाद विड्रा कर नया वाद प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। मिसल फरियाद शुरूआत फेज तक के बन्द हो।

लालचंद
जगदिश
रामस्वरूप
प्रत्याशीगण

(एड. सुरेन्द्र सिंह शेखावत)

उपखण्ड अधिकारी
दांतारामगढ़